

**झारखंड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, रांची – 834001**

**विज्ञापन**

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की  
अंतिम तिथि-25/01/2017

विज्ञापन संख्या-44/2016

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभागाध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. **पद का नाम :-** विभागाध्यक्ष, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक
2. **वेतनमान :-** 37,400-67,000 + ग्रेड पे- AGP 9,000
3. **परीक्ष्यमान अवधि :-** 2 वर्ष
4. **रिक्तियों का विवरण :-**

क्र० सं०	पोस्ट कोड	संकाय का नाम	Total	उर्ध्व आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण निःशक्त	अर्हता	अनुभव
				UNR	SC	ST	BC-I	BC-II			
				VH							
1.	44/2016 (A)	असैनिक अभियंत्रण	01	01	-	-	-	-	01	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक और निष्णात डिग्री, जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।
2.	44/2016 (B)	धातु अभियंत्रण	01	01	-	-	-				
3.	44/2016 (C)	ऑटोमोबाईल अभियंत्रण	01	01	-	-	-				
4.	44/2016 (D)	दूरसंचार अभियंत्रण	01	01	-	-	-				
5.	44/2016 (E)	कम्प्यूटर अभियंत्रण	05	03	-	01	01				
6.	44/2016 (F)	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन	04	02	-	01	01				
7.	44/2016 (G)	विद्युत अभियंत्रण	03	02	-	01	-				
										अथवा	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 05 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।

नोट :-

- VH – अंधापन या कम दृष्टि
- निःशक्तता हेतु क्षैतिज आरक्षित पद में चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित या अनारक्षित वर्ग का होगा, वह उसी वर्ग में, उसी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग में चयनित माना जायेगा। यह क्षैतिज आरक्षित पद जिस किसी भी विषय में उपलब्ध हो, अनुमान्य होगा।
- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

5. **उम्र गणना की तिथि:-** परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना की तिथि **01.08.2015** होगी। सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 34 वर्ष एवं अधिकतम आयु 57 वर्ष होगी।
6. **चयन का आधार :-** पद कोड-44/2016(A) से पद कोड-44/2016(G) तक के लिए निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा जिसके लिए अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-

Name of Post	Academic Records and Research Performance (20%)	Research Performance and Quality of Publications (40%)	Assessment of Domain Knowledge and teaching Skills (20%)	Interview performance (20%)
Head of Dept. (Polytechnic)	BE/BTech/MA/MSc : 10 1 for every 2% after 60% (MA/MSc for Humanities and Science)  ME/MTech/MPhil : 5 0.5 for every 2% after 60% (MPhil for Humanities and Science)  PhD : 5	<b>Research Guidance : Max 5</b> (Points per scholar / group) PhD -2.5 / ME-1 / BE 0.5 / Dip - 0.25)	<b>STTP / Wksp / Meets participation Max 5</b> For 2 week 1 each For 1 week 0.5 each For 2 days 0.25 each	
		<b>Research / Book Pub Max 10</b> Int. Referred Journals with ISSN No. -2 / Pub. Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number- 1/Publication. Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author -1/Chapter In edited books - 0.5/Chapter Subject Books by National/State level publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN Numbers - By sole author - 0.5/Chapter In edited books - 0.2/Chapter Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Number - By sole author - 0.5/Chapter In edited books - 0.25/Chapter Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) -1/ Chapter Chapters in knowledge based volumes published by Indian/ National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories- 0.5/Chapter	<b>Papers in Conference etc Max 5</b> International Conference with full paper publication 2 each National Conference full paper publication 1 each State Conference full paper publication 0.5 each	
		<b>Projects Max 5</b> Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project -5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Project - 4 Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Project - 2	<b>Membership Professional Bodies Max 3</b> International bodies 1 National bodies 0.5	
		<b>Patents / Policy documents Max 5</b> Minor policy documents of Government. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process for Each Output/Patent of National level 2.5 per	<b>Membership of Board of Studies (inhouse) Max 2</b> University / SBTE 1 College / Inst 0.5	

	<b>Consultancy Max 5</b> Major consultancy for above Rs. 30.0 Lakh payment received - 5 Major consultancy for 5 Lakh up to 30.0 Lakh payment received - 4 Major consultancy for Rs. 50,000 up to 5 Lakh payment received - 2	<b>Membership of Board of Studies (outside) Max 2</b> Other Univ / Board 1 Other College / Inst 0.5
	<b>Invited/ Keynote Address in Conference / Seminar / Symposia Max 5</b> International 2.5 National 1.0 State Level 0.5	<b>Membership of Editorial / Reviewer Panel of Journals Max 3</b> International Journals 1 National Journals 0.5
	<b>Awards / Facilitations / Distinctions Max 5</b> Padma / Fellowship/Award of International Repute level 5 Fellowship / Facilitation at state level 2.5	

नोट :- मेधा का आकलन 100 अंकों के आधार पर किया जायेगा।

टिप्पणी :

- पी0एच0डी0 की समकक्षता 5 अंतरराष्ट्रीय जरनल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक जरनल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।
- पी0एच0डी0 एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
- सीधे अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों के रिकार्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो विभाग अध्यक्ष के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।  
विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद के लिए प्रबंधन और नेतृत्व के लिए अभिरुचि अनिवार्य है, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।
- यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम/वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंको में संपरिवर्तित किया जाएगा :-

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

- मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 के आलोक में निम्नवत् होगा :-

अनारक्षित	-	40%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)	-	34%
अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग	-	32%

8. आरक्षण का लाभ :-

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) (i) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे।  
(ii) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत सक्षम पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) के अनुसार साक्षात्कार के समय उक्त सम्बंधित प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (घ) दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। आरक्षण के लाभ के लिए उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र का पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। (विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है)
- (ङ) **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-12165 दिनांक-31.10.2012 के आलोक में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे:-**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक-08.09.1993 तथा 36011/1/98 ईस्ट (रंज) दिनांक-01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में ऊपरी उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट/रियायत प्रदान कर की जाती है एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र के आधार पर होता है तो वे संबंधित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध ही सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध समझे जायेंगे।

9. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (ii) परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) कोटि के उम्मीदवारों को रु0 600 (छह सौ) + बैंक चार्ज मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को रु0 150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र देय होगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।
- (iii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान

किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द समझे जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

- (iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।  
(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

**10. आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया एवं अन्य अनुदेश :-**

- (क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।  
(ख) प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।  
(ग) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. 0651-2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।  
(घ) आवेदक के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्तर्वीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  
(ङ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।  
(च) हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।  
(छ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित है।  
(ज) जन्म तिथि- आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष अंकित है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करेंगे।  
(झ) अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 के पते पर निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित संकाय का नाम यथा पद कोड अंकित करना आवश्यक होगा।  
(i) शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण (कंडिका-4 की सारणी के अनुसार यथा लागू)  
(ii) आयु का प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र अथवा समकक्ष),  
(iii) मैट्रिक अथवा समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,  
(iv) इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,  
(v) बी0ई0/बी0टेक डिग्री (इंजीनियरिंग संकायों के लिए) अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र  
(vi) एम0ई0/एम0 टेक डिग्री अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र (यथा लागू),  
(vii) पीएच0डी0 प्रमाण पत्र (यथा लागू),  
(viii) सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र,  
(ix) सक्षम प्राधिकार (जो अनुमंडल पदाधिकारी से निम्न न हों) से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षण/परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए)

- (x) सक्षम प्राधिकार से निर्गत निःशक्तता (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) प्रमाण पत्र (केवल निःशक्त उम्मीदवारों के लिए)

**नोट:-** मूल प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्वीक्षा या मौखिक जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (ज) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ट) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ठ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (ड) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. **(i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
- (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
- (ii) to be debarred either permanently or for a specified period.
- (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

**(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

**(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**12. अंतिम तिथि :-**

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 29.12.2016 से 25.01.2017 रात 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक-25.01.2017 के बाद दिनांक-28.01.2017 रात 11:45 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति (कंडिका-10(झ) के अनुसार) आयोग कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि दिनांक-03.02.2017 शाम 05:00 बजे तक है।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।